वित्त निर्देश 63/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 510/एफ 2017-04-03725/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 14.12.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के लिए सामान्य भविष्य निधि से आहरण की पात्रता

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 390/सी-26601/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 5.12.2009

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के लिए सामान्य भविष्य निधि से आहरण की पात्रता निर्धारित की गई है।

2/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 224/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 19 मई, 2017 (वित्त निर्देश 18/2017) द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय कर्मचारियों हेतु सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम एवं आंशिक अंतिम विकर्षण के आहरण की वेतन सीमा का निर्धारण छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर किया जाए।

शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14/12/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

वित्त निर्देश 18/2022

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 549/418/वित्त/नियम/चार/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–शासकीय सेवकों के त्यौहार अग्रिम में वृद्धि।

संदर्भः–वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ–1003419/वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 (वित्त निर्देश 66/2012)

--0--

राज्य शासन द्वारा त्यौहार अग्रिम में वृद्धि संबंधी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि त्यौहार अग्रिम की वर्तमान सीमा में वृद्धि करते हुए इसे रूपये 8000 के स्थान पर अधिकतम राशि रूपये 10,000 किया जाए। त्यौहार अग्रिम निम्न निबंधन एवं शर्तो के अधीन प्रदान किया जाएगाः–

(1) त्यौहार अग्रिम की पात्रता निम्नलिखित प्रमुख त्यौहारों हेतु होगीः– स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षा बंधन, ईद–उल–जुहा, ईद–उल–फितर, क्रिसमस।

(2) प्रत्येक प्रकरण में अग्रिम की अधिकतम राशि रूपये 10,000 होगी।

(3) अग्रिम की पात्रता राज्य शासन के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के सदस्यों को होगी।

(4) अग्रिम की पात्रता केलेण्डर वर्ष में एक बार होगी और जब तक पूर्व में लिये गये त्यौहार अग्रिम की पूर्ण रूप से वसूली न हो गई हो, दूसरे अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

(5) अग्रिम की वसूली 10 समान मासिक किश्तों में, जिस माह अग्रिम प्रदाय किया गया है, उस माह के वेतन से प्रारंभ होगी। वसूली हेतु किश्तों का निर्धारण पूर्ण रूपये में किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/8/2022

(राजेश कुमार सिसोदिया)
संयुक्त सचिव

वित्त निर्देश 23 / 2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 430 / 558 / वित्त / नि. / चार / 2023,   नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः—राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति।

संदर्भः—(1) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52 / 38 / 2010 / वि. / नि. / चार, दिनांक 22.02.2010 (वित्त निर्देश 10 / 2010)

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 253 / 306 / वि. / नि. / चार, दिनांक 01.08.2011 (वित्त निर्देश 34 / 2011)

—0—

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52 / 38 / 2010 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 22.02.2010 एवं ज्ञापन क्रमांक 253 / 306 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 01.08.2011 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षिण नियम, 2017 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16—4—1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15—6—1987 में उल्लेखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन निम्नानुसार होगीः—

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन पर देय)	
			महंगाई भत्ता 25% होने पर	महंगाई भत्ता 50% होने पर
1	'बी—2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग—भिलाई नगर	9%	10%
2	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली—राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा, जांजगीर—चांपा	6%	7%
3	अन्य क्षेत्र		6%	7%
4	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु		27%	30%

वित्त निर्देश 39/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 358/एल 2018–71–00036/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27.7.2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा

संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 210/277/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 1.10.2008
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 119/217/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 29.4.2011
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 213/एफ–1000903/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 13.7.2012
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 524/एफ–2013–21–00192/वि/नि/चार, दिनांक 20.12.2013
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 145/एफ–2015–21–00650/वि/नि/चार, दिनांक 14.5.2015

———

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 14 मई, 2015 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था।

2/ विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3/ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भुत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/02/2018.

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

वित्त निर्देश 17/2005

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक 160/192/वि/नि/चार/2005 रायपुर,दिनांक 26/04/2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः-अनाज अग्रिम सीमा में वृद्धि के संबंध में ।

संदर्भः-1.वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 762/8/17/5/चार/ब-6/97 दिनांक 9.7.1997.
2.वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 970/ब-6/चार/97 दिनांक 6.9.1997.

--00--

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापनों का कृपया अवलोकन हो लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कई कार्यालयों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1000 रूपये की दर से तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रूपये की दर से अनाज अग्रिम स्वीकृत किया जा रहा है ।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में 5500 रूपये प्रतिमाह तक मूलवेतन प्राप्त करने वाले समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रूपये 2000 की सीमा तक का अनाज अग्रिम की पात्रता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

स्थायी वित्त निर्देश 02/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 295 167/वि/नि/चार/2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/05/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः—शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।

संदर्भः—1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 45/सी—18029/वि/नि/चार/2011, दिनांक 01.03.2011 (वित्त निर्देश 06/2011)
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 189/सी—18029/वि/नि/चार/2011, दिनांक 13.06.2011 (वित्त निर्देश 24/2011)
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 337/सी—18029/वि/नि/चार/2011, दिनांक 13.10.2011 (वित्त निर्देश 48/2011)
4. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 33/सी—18029/12/वि/नि/चार/2012, दिनांक 31.01.2012 (वित्त निर्देश 04/2012)
5. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 221/एफ—1000415/वि/नि/चार/2012, दिनांक 15.06.2012 (वित्त निर्देश 45/2012)
6. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 424/एफ 2016—04—03194/वि/नि/चार, दिनांक 28.10.2016 (वित्त निर्देश 28/2016)
7. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 504/एफ 2016—01—00998/वि/नि/चार, दिनांक 16.12.2016 (वित्त निर्देश 36/2016)

——0——

राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दरें संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्धारित है । राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त सभी ज्ञापनों को अधिकमित करते हुए वर्तमान श्रेणीकरण, यात्रा भत्ता की दर एवं स्वरूप में निम्नानुसार संशोधन करती है—

......2

1. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता के पूरक नियम 4 के अनुसार निम्नानुसार श्रेणीकरण का निर्धारण किया जाता है –

श्रेणी ए – **लेवल–17** (ग्रेड पे 10000) या इसके अधिक वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी बी – लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक किन्तु लेवल–17 (ग्रेड पे 10000) से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी सी – लेवल–10 (ग्रेड पे 4400) या इससे अधिक किन्तु लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

श्रेणी डी – लेवल–6 (ग्रेड पे 2400) या इससे अधिक किन्तु लेवल–10 (ग्रेड पे 4400) से कम वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक।

श्रेणी ई – लेवल–6 (ग्रेड पे 2400) से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

2. पूरक नियम 20 (सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी–

श्रेणी	राजधानी	शताब्दी/वंदे भारत/ तेजस	सामान्य
ए	ए.सी. प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	ए.सी. 2 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
सी	ए.सी. 3 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
डी	–	–	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान
ई	–	–	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं)

3. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी –

(अ) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(ब) वेतन लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

....3

(स) (ब) मे उल्लेखित प्रावधान से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी देश के अंदर विमान के एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

4. वेतन लेवल–12 (ग्रेड पे 5400) या इससे अधिक किन्तु वेतन लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) से कम वेतन आहरण करने वाले अधिकारी भी प्रशासकीय विभाग के पूर्वानुमति से एकोनामी क्लास में यात्रा के पात्र होगें। ऐसी स्वीकृति के पूर्व विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि प्रस्तावित यात्रा अपरिहार्य है तथा नियमानुसार राज्य से बाहर की यात्रा हेतु प्रशासकीय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

टीप – भारत सरकार द्वारा देश के अंदर किसी शहर में आयोजित बैठकों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने पर इन बैठकों में जिस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है उसी स्तर के अधिकारियों को अथवा विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर कम के ऐसे अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाये, जिनका वेतन लेवल –12 (ग्रेड पे 5400) से कम नहीं हो तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति अपरिहार्य एवं शासन के हित में हो ।

5. राजस्व एवं न्यायालयीन प्रकरणों में आवश्यकता के आधार पर नई दिल्ली की हवाई यात्रा के प्रकरणों में संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर द्वारा उनकी स्थापना में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रशासकीय विभाग को प्राप्त अधिकार का उपयोग किया जा सकेगा।

6. उपरोक्त हवाई यात्रा की पात्रता की श्रेणी के अतिरिक्त यदि अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपरिहार्य कारणों से हवाई यात्रा किया जाता है तो उनकी स्वीकृति हेतु प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे जिस पर गुण दोष के आधार पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी–

(अ) श्रेणी ''ए'', श्रेणी ''बी'' तथा श्रेणी ''सी'' के शासकीय सेवक को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।

(ब) श्रेणी ''डी'' के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

(स) श्रेणी ''ई'' के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।

....4

8. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार मील भत्ता की दरें निम्नानुसार होगी –

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	अभ्युक्ति
ए एवं बी	स्वयं की कार टैक्सी (ए.सी. टैक्सी शामिल)	12 रूपये 14 रूपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
सी	स्वयं की कार टैक्सी (नान ए.सी.)	12 रूपये 12 रूपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर सायकिल अन्य साधन	5 रूपये 2 रूपये	

9. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग–अलग दरें निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है –

राज्य के अंदर यात्रा हेतु

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता	आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	वाए/जेड	वाए	जेड	वाए	जेड
ए	800	4000	2000	550	350
बी	800	3000	1200	450	300
सी	300	1500	600	300	200
डी	200	1000	400	200	150
ई	160	500	250	150	100

....5

के बाहर यात्रा हेतु

सकीय सेवक श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार		आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	एक्स	वाए/जेड	एक्स	वाए/जेड	एक्स	वाए/जेड
ए	1000	800	10000	7500	3000	1800
बी	600	500	7000	4000	2000	1250
सी	400	300	3000	2000	1000	625
डी	300	200	1500	1250	750	500
ई	200	160	1200	1000	375	250

टीपः— अधिकारी/कर्मचारियों के दिल्ली प्रवास पर होटल व्यय के दावे के लिए छत्तीसगढ़ भवन तथा छत्तीसगढ़ सदन में आवास की व्यवस्था न होने का प्रमाण—पत्र आवासीय आयुक्त कार्यालय से प्राप्त किया जाना होगा।

विशेष विराम भत्ता —

छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम—55 ए के अंतर्गत राज्य के बाहर की यात्रा हेतु विशेष विराम भत्ता की पात्रता आधा दैनिक भत्ता के स्थान पर एक दैनिक भत्ता की होगी।

टीपः—1. नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन कमांक 2/5/2017- E, II(B) दिनांक 07.07.2017 के साथ संलग्न परिशिष्ट (जो इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है) के अनुसार होगा।

2. राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस इत्यादि के स्थान उपलब्ध होने पर निवास हेतु इसे प्राथमिकता दी जाये।

3. होटल व्यय की उक्त सीमा सभी प्रकार के करों को शामिल करते हुए होगी। होटल में ठहरने पर होटल किराये की तथा स्थानीय यात्राओं के लिए माईलेज की किराये की रसीद यात्रा देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माईलेज की पात्रता केवल उस तिथि के लिये होगी, जिस तिथि में शासकीय सेवक द्वारा उक्त स्थान पर शासकीय कार्य संपादित किया गया हो, मुकाम की अवधि 6 घंटे से कम न हो तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया हो।

4. यदि शासकीय सेवक अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करता है, अर्थात् यदि वह अपने परिचित/रिश्तेदार के यहां ठहरता है अथवा कोई अन्य व्यवस्था करता है तो ठहरने हेतु व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यदि वह किसी दिन स्थानीय यात्रा हेतु किराये का वाहन उपयोग करता है तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं करता है तो उपरोक्त पैरा के अनुसार वाहन किराये की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

.....6

5. मुख्यालय भत्ता एवं विशेष विराम भत्ता की पात्रता संशोधित दैनिक भत्ता के अनुसार होगा तथा इस हेतु लागू अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6. दिल्ली प्रवास के दौरान प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इनमें से श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को हवाई अड्डा/रेल स्टेशन से छत्तीसगढ़ भवन तथा छत्तीसगढ़ सदन आने के लिए टैक्सी की इंतजाम भी वाहन सुविधा में शामिल होगा। इन अधिकारियों को यह विकल्प भी होगा कि वे शासकीय वाहन सुविधा का उपभोग न करते हुए उपरोक्तानुसार माईलेज प्राप्त करें।

7. अगर शासकीय सेवक किसी महानगर में केवल ट्रांजिट के लिए रूकता है एवं उस यात्रा में अपने परिवहन का साधन वायुयान से सड़क या रेल या इसके विपरीत बदलता है तो हवाई अड्डा से बस/रेल्वे स्टेशन अथवा इसके विपरीत तक की यात्रा हेतु पूरक नियम–23 के अनुसार स्थानीय परिवहन पर वास्तविक रूप से किये गये व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह पात्रता श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को दोनों स्थानों के मध्य टैक्सी किराये की सीमा तक तथा अन्य शासकीय सेवकों के मामले में आटो रिक्शा किराये की सीमा तक होगी। इस हेतु दावा पावती द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थानीय यात्राओं के लिए शासकीय सेवक को यह विकल्प भी होगा कि वह या तो उपर्युक्त पूरक नियम–23 के अनुसार अथवा इस ज्ञापन के अनुसार माईलेज प्राप्त करें।

10. शासकीय सेवक के स्थानांतरण पर की गई यात्रा हेतु स्थानांतरण पर सामान बांधने, खोलने, लादने, उतारने तथा अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित स्थानांतरण अनुदान तथा निजी सामान के परिवहन संबंधी पात्रता एवं दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है–

(अ) स्थानांतरण अनुदान –

शासकीय सेवक की श्रेणी	स्थानांतरण अनुदान की दर (रूपये)
ए	10000
बी	8000
सी	7000
डी	6000
ई	4000

....7

जी सामान परिवहन –

शासकीय सेवक की श्रेणी	सड़क द्वारा (रूपये प्रति किलोमीटर)	रेल द्वारा
ए	18	6000 किलोग्राम
बी	18	6000 किलोग्राम
सी	15	5000 किलोग्राम
डी	10	3000 किलोग्राम
ई	10	1500 किलोग्राम

टीपः– 1. राज्य के बाहर स्थानांतरण के मामले में शासकीय सेवक को निजी सामान परिवहन की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के कर्मचारी हेतु समय–समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

2. अखिल भारतीय सेवा के ऐसे सदस्य जिनकी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति उपरांत राज्य में पदस्थापना होती है, उन्हें ऐसी पदस्थापना पर कार्य ग्रहण हेतु की गई यात्रा के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के अधिकारियों हेतु समय–समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

11. यह दर आदेश जारी होने के दिनांक से या इसके पश्चात् प्रारंभ की गई यात्रा/निजी सामान के परिवहन पर लागू होगा।

12. यह सुनिश्चित किया जाये कि यात्रा सक्षम स्वीकृति उपरांत मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इस आदेश के अंतर्गत किये गये व्यय विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

वित्त निर्देश 6/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 140/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.3.2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः—राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान–2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान–2009 में दिनांक 1 मार्च 2024 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

—0—

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 432/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान में 42% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 221% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जायेः—

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 1 मार्च 2024	4%	46%
छठवां वेतनमान	दिनांक 1 मार्च 2024	9%	230%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :—

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि माह मार्च 2024 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

वित्त निर्देश 07/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 144/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.03.2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

––0––

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 541/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 31.08.2023 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2023 से 42% (सातवें वेतनमान में) एवं 221% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगीः–

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01.03.2024	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 4%	46%
छठवां वेतनमान	01.03.2024	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 9%	230%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम–2/चार, दिनांक 5–10–76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की

वित्त निर्देश 23/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 430/558/वित्त/नि./चार/2023, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति।

संदर्भः–(1) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/वि./नि./चार, दिनांक 22.02.2010 (वित्त निर्देश 10/2010)

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 253/306/वि./नि./चार, दिनांक 01.08.2011 (वित्त निर्देश 34/2011)

--0--

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22.02.2010 एवं ज्ञापन क्रमांक 253/306/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.08.2011 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16–4–1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15–6–1987 में उल्लेखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन निम्नानुसार होगीः–

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन पर देय)	
			महंगाई भत्ता 25% होने पर	महंगाई भत्ता 50% होने पर
1	'बी–2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग–भिलाई नगर	9%	10%
2	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली–राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा, जांजगीर–चांपा	6%	7%
3	अन्य क्षेत्र		6%	7%
4	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु		27%	30%

2/ गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन से है।

3/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), को 2.57 के गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी।

4/ ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

5/ गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

6/ यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

वित्त निर्देश 09/2021

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 1726/एफ–2013–04–00121/ब–4 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 08.02.2021
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः–परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर तथा केन्द्रीय शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अंतर्गत बचत निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर का वर्ष 2020–21 के लिये पुनरीक्षण।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ. 5 (2) –(ई.वी.)/2016 दिनांक 15.02.2021 द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 की बचत निधि पर ब्याज दर का पुनरीक्षण किया गया है । अतः राज्य शासन तदनुसार समूह बीमा योजना, 1985 की बचत निधि में जमा राशि पर तथा परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर निम्नानुसार ब्याज निर्धारण करता है:–

(अ) शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985

दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित)

(ब) परिवार कल्याण निधि, 1974

दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

8/3

(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

निरंतर...2

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक – एक, प्रथम तल,
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष –0771–2331306, फैक्स 0771–2445789, ई–मेल Dir.treasury.cg@nic.in

---

क्रमांक/संकोले/बीमा/XXI/2020/2596 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/10/2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छ0ग0 शासन वित्त एवं योजना विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

विषय :– **छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना–1985 के अन्तर्गत अभिदान एवं अनुरुपी बीमा रक्षण राशि की दरों में वृद्धि करने बाबत् ।**

----0----

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना–1985 की दरों में दिनांक 01.07.2003 से बढोत्तरी की गई थी तत्पश्चात् छठवें वेतनमान लागू होने के पश्चात वर्ष 2017 में छ0ग0 शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0) के वित्त निर्देश 22/2017 आदेश कमांक 252/एल 2015 –71– 00406/वित्त/ नियम/चार दिनांक 27.05.2017 के तहत् छ0ग0 शासकीय कर्मचारियो के अभिदान की दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये प्रति इकाई (यूनिट) की दर रुपये 60/- करने का निर्णय लिया गया है ।

वर्तमान मे छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 दिनांक 01.01.2016 से लागू होने के कारण तथा विभिन्न अधिकारी/कर्मचारियों संगठनों के मांग के अनुरुप समूह बीमा योजना अभिदान दरों मे वृद्धि किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः पुनः कर्मचारियों के अभिदान कटौत्रा मे 100 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01.01.2021 से किया जाना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है –

वर्तमान में प्रचलित दरें

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
ए	प्रथम	रू.480/–	रू. 4,80,000
बी	द्वितीय	रू.360/–	रू. 3,60,000
सी	तृतीय	रू.300/–	रू. 3,00,000
डी	चतुर्थ	रू.180/–	रू. 1,80,000

प्रस्तावित दरें

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
ए	प्रथम	रू.960/–	रू. 9,60,000
बी	द्वितीय	रू.720/–	रू. 7,20,000
सी	तृतीय	रू.600/–	रू. 6,00,000
डी	चतुर्थ	रू.360/–	रू. 3,60,000

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– वित्त निर्देश 22/2017 की छायाप्रति ।
अधिकारी/कर्मचारी संगठनों द्वारा प्राप्त पत्र की प्रति ।

14/10/20

वित्त नियंत्रक
कोष लेखा एवं पेंशन
नवा रायपुर अटल नगर

15.10.20

वित्त निर्देश 16 / 2020

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

क्र.329/एफ 2019–55–00017 / वि / नि / चार; नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/6/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त जिलाध्यक्ष,

छत्तीसगढ़।

विषय :– **राज्य के शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान "ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाईनल पेमेंट सिस्टम" के माध्यम से करने बाबत ।**

––0––

वर्तमान में राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा राशि के अंतिम भुगतान के प्रकरण कार्यालय प्रमुख द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ, रायपुर को प्रेषण एवं तत्पश्चात महालेखाकार द्वारा अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की मैन्युअल प्रकिया प्रचलित है। उक्त व्यवस्था में जहाँ एक ओर अधिक समय लगने से अभिदाता को विलंब से भुगतान की स्थिति निर्मित होती है, वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्ति के बाद भी ब्याज की राशि का भुगतान करने से शासन पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है।

2. सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा ऑनलाईन पेंशन मेंनेजमेंट सिस्टम **"आभार–आपकी सेवाओं का"** के अंतर्गत **"ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाईनल पेमेंट सिस्टम"** का समावेश किया जाकर राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के प्रकरणों का निराकरण उक्त व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।